(A5)

न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनूं

पीठासीन अधिकारी : उमर दीन खान,
आई.ए.एस.

अपील संख्या: 61/2021

कंवर सिंह पुत्र चन्द्र सिंह, जाति राजपूत, ब्राहम्ण, निवासी पचेरी कलां, पुलिस थाना पचेरी कलां, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू (राज)

– अपीलार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी, झुन्झुनूं।

– रेस्पोडेंट

– – –

अपील अतंर्गत धारा 22 (क) अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 28.07.2021 जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं।

– – –

उपस्थित : –

1. श्री संदीप सैनी, एडवोकेट – अपीलार्थी की ओर से ।
2. श्री विकास महला, विभागीय पैरोकार – रेस्पोडेंट की ओर से ।

आदेश

दिनांकः– 13.09.2021

प्रस्तुत अपील विद्वान जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं के निर्णय दिनांक 28.07.2021 के विरुद्ध पेश की है। प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार से है कि जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं द्वारा दिनांक 28.07.2021 को अपीलान्ट (उचित मूल्य दुकानदार) का प्राधिकार पत्र निलम्बित कर दिया गया है। अपीलान्ट निर्दोष व्यक्ति है जिसको झूंठा फंसाया जाकर अभियोजित किया जा रहा है। अपीलान्ट के विरूद्व उक्त प्रकरण मे शिकायतकर्ता सन्दीप शर्मा जो कि पूर्व मे उसी क्षेत्र मे राशन डीलर रहा है और उसके विरूद्व गंभीर अनियिमितता के कारण उसका प्राधिकार पत्र निलम्बित कियया गया है उक्त संदीप शर्मा ने अपीलान्ट के विरूद्व झूंठी शिकायत की है। क्योंकि वह अपीलान्ट से रंजिश रखता है। इस प्रकार शिकायतकर्ता कोई उपभोक्ता नही है और न ही कोई सद्भावी व्यक्ति है। वह तो स्वयं अपीलान्ट से रंजिश रखता है। इस प्रकार शिकायत झूंठे व काल्पिनिक तथ्यों पर प्रस्तुत की गई है, जो आधारहीन है। जिला रसद अधिकारी का आदेश दिनांक 28.07.2021 आलौच्याधीन आदेश है। चूंकि जिला रसद अधिकारी द्वारा जांच किये जाने का कोई आधार नही था। वह तो मात्र शिकायतकर्ता की शिकायत पर शिकायतकर्ता के साथ प्रकरण बनाकर अपीलान्ट के विरूद्व कार्यवाही किये जाने के उद्देश्य से ही गया था। जबकि मौके पर जांच किये जाने का कोई आधार, कोई उपभोक्ता की शिकायत वगैरह कुछ नही थी। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट का कृत्य अवैध कृत्य है और उक्त आदेश आलौच्याधीन आदेश है। रेस्पोडेन्ट का प्राधिकार पत्र का निलम्बन (कंवर सिंह पोस कोड 12366) गलत है, जिसका कोई सुघार नही किया गया न ही कोई रिव्यू आदेश पारित किया गया। इस प्रकार जब निलम्बन ही निष्प्रभावी है तो लाईसेन्स का निलम्बीकरण किया जाना स्वतः ही अवैध हो गया, नियम विरूद्व हो गया। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट का आदेश अस्थाना आदेश है। अपीलान्ट के विरूद्व जो साक्ष्य व दस्तावेज उपलब्ध करवाये गये है वे सभी कुटरचित व मनगढंत है। उनके साबित करने के लिए किसी भी उपभोक्ता का प्रमाणीकरण नही है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट द्वारा की गई कार्यवाही दूषित कार्यवाही है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट से स्पष्ट अंकित किया है दिनांक 29.06.2021 को 3.00 बजे अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान पर गये जो बन्द पाई गई और अपीलान्ट नही मिला। इस प्रकार मौके पर कोई भी नही मिला और न ही जांच की गई और फिर दिनांक 30.06.2021 को ही अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निलम्बित कर दिया। इस प्रकार अपीलान्ट से कुछ भी पूछा

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

A 4/2

जाना उन्हे अपनी सफाई मे तथ्य बताने का या सुनवाई का अवसर दिये बिना किसी जांच के उक्त आदेश दिनांक 30.06.2021 पारित कर दिया जो कि अपने आप मे ही रेस्पोडेन्ट का मनमाना व दंभी कृत्य स्पष्ट होता है। इस प्रकार निलम्बन के आदेश ठहराने के लिए रेस्पोडेन्ट ने आदेश दिनांक 28.07.2021 जारी कर दिया जो कि आलौच्याधीन व दूषित प्रक्रिया का हिस्सा है। दिनांक 29.06.2021 को शिकायतकर्ता द्वारा कुछ राशन कार्डो की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की गई और अपीलान्ट के विरूद्व किसी भी प्रकार की कोई साक्ष्य न ली जाकर काल्पनिक तथ्य के आधार पर रिपोर्ट बनाई जाकर दिनांक 30.06.2021 को अपीलान्ट का लाईसेन्स निलम्बित कर दिया जो कि गलत आदेश है जो निरस्त होने योग्य है और गलत आदेश होने से निरस्त किये जाने योग्य है और गलत आदेश को प्रभावित करने के उद्देश्य से किया गया आदेश दिनांक 28.07.2021 आदेश भी निरस्त होने योग्य है जबकि जो काल्पनिक रिपोर्ट रेस्पोडेन्ट द्वारा तैयार की गई थी और शिकायतकर्ता की स्वयं की साजिश स्पष्ट किये जाने के लिए अपीलान्ट ने शिकायतकर्ताओं द्वारा दर्ज उपभोक्ताओं को लाकर उनकी साक्ष्य भी रेस्पोडेन्ट को दे दी परन्तु रेस्पोडेन्ट ने बिना कुछ पढे व सुने ही अपीलान्ट के विरूद्व कार्यवाही किये जाने का मन बना लिया और दिनांक 28.07.2021 को अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया जो कि गलत आदेश है। रेस्पोडेन्ट का आदेश गलत व आधारहीन होने से न्यायसंगत नही है। अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर जिला रसद अधिरी के आदेश दिनांक 28.07.2021 को निरस्त किया जावे और अपीलान्ट का लाईसेन्स नियमित किये जाने का आदेश प्रदान करे।

बहस सुनी गयी । वकील अपीलार्थी ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट के विरूद्व उक्त प्रकरण मे शिकायतकर्ता सन्दीप शर्मा जो कि पूर्व मे उसी क्षेत्र मे राशन डीलर रहा है और उसके विरूद्व गंभीर अनियिमितता के कारण उसका प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया है। उक्त संदीप शर्मा ने अपीलान्ट के विरूद्व झूंठी शिकायत की है। क्योंकि वह अपीलान्ट से रंजिश रखता है। इस प्रकार शिकायतकर्ता कोई उपभोक्ता नही है और न ही कोई सद्भावी व्यक्ति है। शिकायत झूंठे व काल्पिनिक तथ्यों पर प्रस्तुत की गई है जो आधारहीन है। चूंकि जिला रसद अधिकारी द्वारा जांच किये जाने का कोई आधार नही था। वह तो मात्र शिकायतकर्ता की शिकायत पर शिकायतकर्ता के साथ प्रकरण बनाकर अपीलान्ट के विरूद्व कार्यवाही किये जाने के उद्देश्य से ही गया था। जबकि मौके पर जांच किये जाने का कोई आधार, कोई उपभोक्ता की शिकायत वगैरह कुछ नही थी। रेस्पोडेन्ट का आदेश मनमाना आदेश है। अपीलान्ट के विरूद्व जो साक्ष्य व दस्तावेज उपलब्ध करवाये गये है वे सभी कूटरचित व बनावटी है। उनके साबित करने के लिए किसी भी उपभोक्ता का प्रमाणीकरण नही है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट द्वारा की गई कार्यवाही दूषित कार्यवाही है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट से स्पष्ट अंकित किया है दिनांक 29.06.2021 को 3.00 बजे अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान पर गये जो बन्द पाई गई और अपीलान्ट नही मिला। इस प्रकार मौके पर कोई भी नही मिला और न ही जांच की गई। और फिर दिनांक 30.06.2021 को ही अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निलम्बित कर दिया। इस प्रकार अपीलान्ट से कुछ भी पूछा जाना उन्हे अपनी सफाई मे तथ्य बताने का या सुनवाई का अवसर दिये बिना किसी जांच के उक्त आदेश दिनांक 30.06.2021 पारित कर दिया जो कि अपने आप मे ही रेस्पोडेन्ट का मनमाना व दंभी कृत्य स्पष्ट होता है। दिनांक 29.06.2021 को शिकायतकर्ता द्वारा कुछ राशन कार्डो की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की गई और अपीलान्ट के विरूद्व किसी भी प्रकार की कोई साक्ष्य न ली जाकर काल्पनिक तथ्य के आधार पर रिपोर्ट बनाई जाकर दिनांक 30.06.2021 को अपीलान्ट का लाईसेन्स निलम्बित कर दिया जो कि गलत आदेश है। रस्पोडेन्ट ने मौके पर भौतिक जांच नही की है। रेस्पोडेन्ट का आदेश गलत व आधारहीन होने से न्यायसंगत नही है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर जिला रसद अधिरी के आदेश दिनांक 28.07.2021 को निरस्त किया जावे और अपीलान्ट का लाईसेन्स नियमित किये जाने का आदेश प्रदान करे।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

विद्वान विभागीय पैरोकार ने बहस के दौरान वकील अपीलांट के कथनों का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट के विरूद्व राज सम्पर्क पर शिकायत प्राप्त हुई थी। अपीलान्ट के विरूद्व शिकायत की जांच करने के लिए मौका स्थल पर गये तो अपीलान्ट की दुकान बंद होने पर अपीलान्ट को मौके पर टेलीफोन कर बुलाया गया था परन्तु अपीलान्ट जानबूझकर मौके पर नही आया। अपीलान्ट ने विकास अधिकारी की आईडी से कुछ राशन कार्डो में जोड़े गये अतिरिक्त नामों का राशन तो उठा लिया परन्तु संबंधित उपभोक्ताओं को राशन पूर्व मे वर्णित संख्या के आधार पर ही बांटा गया जो गबन की श्रेणी मे आता है। अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट के विरुद्ध पारित आदेश विधि सम्मत है क्योंकि अपीलान्ट द्वारा राशन वितरण मे गबन किया है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई फोर्स नहीं होने से खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रार्थी की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का भी अवलोकन किया। प्रकरण में जिला रसद अधिकारी झुंझुनू ने अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र प्रवर्तन अधिकारी व प्रवर्तन निरीक्षक के सयुक्त जांच दल द्वारा की गई जांच रिपोर्ट के आधार पर गम्भीर अनियमितता मानते हुये निरस्त किया है। इस संबंध मे अपीलान्ट का तर्क है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट का सुनवाई का अवसर प्रदान करने, अपने बचाव मे साक्ष्य सबूत पेश करने का भी समुचित अवसर नही दिया गया है। रेस्पोडेन्ट जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं द्वारा प्रकरण मे आदेश दिनांक 28.07.2021 मौके पर भौतिक जांच कर पारित नही किया गया है। विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में माना है कि मौके पर अपीलान्ट उपस्थित नहीं मिला है। इससे साफ है कि अपीलान्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर अदालत मातहत द्वारा नहीं दिया गया तथा मौके पर भौतिक जांच नहीं की गई है। न्यायालय के दृष्टि में किसी पक्षकार को सुनवाई पूर्ण अवसर दिये बगैर आदेश पारित किया जाना उचित नहीं है। उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर हम अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.07.2021 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के रिमाण्ड किया जाता है कि अदालत मातहत अपीलान्ट को साक्ष्य सबुत प्रस्तुत करने हेतु तथा अपना पक्ष रखने हेतु समुचित अवसर दिया जाकर पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें तथा प्रकरण मे अन्तिम निर्णय तक अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल किया जाकर राशन वितरण का कार्य करने से नही रोका जावे। आदेश की प्रति पालनार्थ जिला रसद अधिकारी झुंझुनू को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 13.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/09/21

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं